न्यायालय अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ, आर0ए0एस0

Web Copy - Not Official

विविध प्रार्थना पत्र सं0 32/14

संजीव कुक्कड़ पुत्र श्री प्रभुदयाल कुक्कड़ निवासी फाजिल्का हाल सैक्टर नं0 15 फरीदाबाद(उतरप्रदेश)

बनाम

राजस्थान सरकार

उपस्थित : श्री सुभाष मिढा, अधिवक्ता, प्रार्थी।
राजकीय अधिवक्ता, राज्य की ओर से।

प्रार्थना पत्र अ0 धारा 144 सी0पी0सी0

आदेश दिनांक : 05–07–2017

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अ0 धारा 144 सी0पी0सी0 प्रस्तुत किया गया है, जिसके तथ्य सक्षेंप में इस प्रकार हैं कि सीलिंग प्रकरण सं0 8/93 में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 27–12–02 को निर्णय पारित कर चक 1 जी बी –2 जी बी तहसील श्रीविजयनगर की 12 बीघा 18½ बिस्वा भूमि सीलिंग सीमा से अधिक मानते हुए अधिग्रहण के आदेश दिये गये थे। उक्त आदेश को माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर में चुनौती दी गई। माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 27–6–14 से अपील स्वीकार करते हुए भूमि सीलिंग सीमा से कम मानी गई। प्रार्थी प्रभुदयाल का विधिक वारिस है। इस कारण उक्त भूमि के संबंध में राजस्व रेकार्ड में रकबा राज का जो नोट अंकित किया गया था उसे हटाया जाकर रकबा वारिसान के नाम से दर्ज किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र बाद रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर किया गया। स्टेट को जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसील श्रीविजयनगर व विधि प्रकोष्ठ से रिपोर्ट तलब की गई। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कहा है कि माननीय राजस्व मण्डल का निर्णय दिनांक 27–6–14 उनके पक्ष में हो चुका है तथा इस न्यायालय का निर्णय दिनांक 27–12–02 जिसके द्वारा भूमि सीलिंग सीमा से अधिक घोषित की गई थी, को निरस्त कर दिया गया है। बहस में यह भी बताया है कि माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय पर माननीय उच्च न्यायालय का स्थगन नहीं है। अतः माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर के निर्णय की पालना में राजस्व अभिलेखों में भूमि का इन्द्राज उनके नाम से किया जाने का आदेश फरमाया जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा है कि माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर के निर्णय से इस न्यायालय का निर्णय दिनांक 27–12–02 निरस्त हो चुका है, जिसके द्वारा प्रश्नगत भूमि का कब्जा बहक सरकार लिया गया था। माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 27–6–14 केविधिक परीक्षण के उपरांत रिट दायर

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

करने के लिए तहसीलदार श्री विजयनगर को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है इसलिए स्टेट के हित को दृष्टिगत रखते हुए माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित होने वाले भावी निर्णय के अध्याधीन इस आदेश को रखा जाना चाहिये। इस प्रकार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सी0पी0सी0 को स्वीकार करने में राजकीय अधिवक्ता द्वारा कोई आपति जाहिर नहीं की गई है।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि सीलिंग प्रकरण सं0 8/93 अनवान सरकार बनाम कर्मचन्द के विधिक उतराधिकारीगण में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 27–12–02 को निर्णय पारित कर 12 बीघा 18½ बिस्वा भूमि सीलिंग सीमा से अधिक मानते हुए अधिग्रहण के आदेश दिये गये थे। इस आदेश की पालना में इंतकाल सं0 13 ग्राम 1 जी बी भू अभिलेख निरीक्षक हल्का जैतसर दिनांक 6–1–2003 को आराजी राज स्वीकृत किया गया । इस न्यायालय के आदेश दिनांक 27–12–02 को अप्रार्थी कर्मचन्द के वारिसान द्वारा माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर में चुनौती दी गई। माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 27–6–14 से अपील स्वीकार करते हुए भूमि सीलिंग सीमा से कम मानी गई व इस न्यायालय का निर्णय दिनांक 27–12–02 निरस्त कर दिया गया। माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर के निर्णय दिनांक 27–6–14 का विधिक परीक्षण के उपरांत विधि प्रकोष्ठ के पत्र कमांक एफ16(5)सी.प्र./अ.कल.प्रशा./14 /2490 दिनांक 23–9–14 द्वारा तहसीलदार, श्रीविजयनगर को प्रभारी अधिकारी केस नियुक्त करते हुए रिट याचिका दायर करने के आदेश दिये गये। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 27–6–14 पर कोई स्थगन हो, ऐसा कोई अभिलेख पत्रावली पर नहीं है। चूँकि माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर का निर्णय प्रार्थी के पक्ष में हो चुका है। माननीय उच्च न्यायालय का स्थगन अभिलेख पर नहीं है। राजकीय अधिवक्ता द्वारा भी निर्णय की पालना किये जाने में कोई आपति जाहिर नहीं की है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र अ0 धारा 144 सी0पी0सी0 स्वीकार किये जाने योग्य है।

फलस्वरूप, प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अ0 धारा 144 सी0पी0सी0 स्वीकार किया जाता है तथा मुताबिक इंतकाल सं0 13 दिनांक 06–01–03 को बहक सरकार कब्जा जिससे लिया गया था, का राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद, उसके पक्ष में करने का आदेश दिया जाता है । उक्त आदेश माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में विचाराधीन रिट याचिका में पारित होने वाले भावी आदेश के अध्याधीन रहेगा। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार, श्री विजयनगर को पालनार्थ भेजी जावे।

आदेश आज दिनांक 05–07–17 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

05/7/17

(नखतदान बारहठ)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)